

वेबसाइट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2019-अग्रहायण 8, शके 1941

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

( केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित )

( धारा-41 वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत )

क्र.25/आर-ग्वालियर/2018.—वक्फ कब्रस्तान मौजा बहोड़ापुर, जिला ग्वालियर में श्री मोहम्मद इरशाद, निवासी ए. बी. रोड, ग्वालियर द्वारा उक्त वक्फ कब्रस्तान में आयशा मस्जिद के इन्द्राज हेतु वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-41 के अन्तर्गत शपथपत्र/आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त वक्फ से संबंधित आवेदन साक्ष्य व शासकीय अभिलेखों से प्रमाणित है कि निम्न सम्पत्ति पूर्व से ही वक्फ घोषित है।

अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार उक्त वक्फ कब्रस्तान में आयशा मस्जिद का इन्द्राज/इजाफा धारा-41 के अंतर्गत वक्फ पंजीयन रजिस्टर, जिला ग्वालियर के क्रमांक 173/46 सर्वे नं. 177 में दर्ज किया गया:-

#### वक्फ सम्पत्ति का विवरण

नाम वक्फ	संपत्ति जिसकी प्रविष्टि वक्फ पंजी में की गई है।
वक्फ कब्रस्तान मौजा बहोड़ापुर, जिला ग्वालियर.	खसरा नं. 277 रकबा 0.439 हैक्टेयर में से रकबा 25x 50=1250 वर्गफिट पर बनी आयशा मस्जिद.

अतः सर्वसंबंधित को सूचित किया जावे।

(777-बी.)

( धारा-41 वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत )

क्र.53/आर-शिवपुरी/2018.—वक्फ कब्रस्तान दिनारा, तहसील करेगा, जिला शिवपुरी में श्री हफीज खाँ रिटायर्ड आर. आई. औकाफ आम्मा, भोपाल द्वारा उक्त वक्फ कब्रस्तान में कुआँ ( चाह ) ग्राम दिनारा, तहसील करेगा, जिला शिवपुरी के इन्द्राज हेतु वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-41 के अन्तर्गत शपथपत्र/आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त वक्फ से संबंधित आवेदन साक्ष्य व शासकीय अभिलेखों से प्रमाणित है कि निम्न सम्पत्ति पूर्व से ही वक्फ घोषित है।

अतः उक्त वक्फ कब्रस्तान में कुआँ ( चाह ) ग्राम दिनारा, तहसील करेगा, जिला शिवपुरी का इन्द्राज/इजाफा धारा-41 के अंतर्गत वक्फ पंजीयन रजिस्टर, जिला शिवपुरी के क्रमांक 254 में दर्ज किया गया:-

### वक्फ सम्पत्ति का विवरण

नाम वक्फ	संपत्ति जिसकी प्रविष्टि वक्फ पंजी में की गई है.
कुआँ (चाह) ग्राम दिनारा, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी.	खसरा क्रमांक पुराना 203/1 नया खसरा नं. 334 रकबा 0.01 हैक्टेयर, कब्रस्तान ग्राम दिनारा, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी से लगा हुआ.
अतः सर्वसंबंधित को सूचित किया जावे.	
(778-बी.)	

( धारा-36 वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत )

फा.क्र.237/आर-इन्डौर/2018.—वक्फ इमारत पुख्ता अलल औलाद वक्फ अशना अशरी (फिका जाफरी) वाके ग्रीन पार्क कॉलोनी, इन्डौर के इन्द्राज/पंजीयन हेतु डॉ. मोहम्मद अली रिजवी आ. सैयद मोहम्मद हसन रिजवी, निवासी म. नं. 26, छुतरीपुरा मैन रोड, इन्डौर द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर उक्त संपत्ति के पंजीयन हेतु वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-36 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है. जिस पर विधिवत नोटिस एवं सूचना-पत्र जारी किये गये, परंतु निर्धारित अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है. इस प्रकार वक्फ संबंधित आवेदन साक्ष्य व अभिलेखों से प्रमाणित है कि निम्न संपत्ति वक्फ घोषित है. जिसका पंजीयन वक्फ पंजी जिला इन्डौर के अनुक्रमांक 641 पर वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-36 के तहत कर लिया गया है:-

### वक्फ सम्पत्ति का विवरण

नाम वक्फ	संपत्ति जिसकी प्रविष्टि वक्फ पंजी में की गई है.
इमारत पुख्ता अलल औलाद वक्फ अशना अशरी (फिका जाफरी) वाके ग्रीन पार्क कॉलोनी, इन्डौर.	प्लॉट नंबर 315, 316 कुल रकबा 40x 50=2000 मुख्या फिट
अतः सर्वसंबंधित को सूचित किया जावे.	
(779-बी.)	

यूनुस खान,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

### अन्य सूचनाएँ

#### CHANGE OF NAME

I, Shruti Anil D/o of Anil Kumar, Age 28, Residing at C-59, Vikaskunj NCL Colony, Singrauli, District Singrauli, M.P. solemnly affirm and declare that my name and address is true. My name is mentioned as SHRUTI A in some records and documents. Both the names SHRUTI A and SHRUTI ANIL refer to one and the same person. Hence in all The records and documents my name may be read written and understood as SHRUTI ANIL in future for all purposes.

Old Name :

(SHRUTI A)

New Name :

(SHRUTI ANIL)

Father-Anil Kumar.

(780-B.)

### उप-नाम परिवर्तन

पहले मुझे संजय बडजात्या के नाम से जाना एवं पहचाना जाता था अब मेरा नाम संजय कुमार जैन हो गया है. अतः मुझे भविष्य में संजय कुमार जैन के नाम से जाना एवं पहचाना जावे. सर्व-साधारण जाने.

पुराना नाम :

( संजय बडजात्या )

नया नाम :

( संजय कुमार जैन )

पिता-सुमैरचंद जैन,

म. नं. 342, पैठनकर गली, शनवारा बुरहानपुर,

जिला बुरहानपुर (म.प्र.).

(783-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि सुरेश सिंह यादव एवं श्रीमती ममता यादव, माल गोदाम रोड, गणेशपुरा, मुरैना के स्थाई निवासी हैं। हमारे पुत्र ऋषभ राजपूत के शैक्षणिक, शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सुरेश सिंह राजपूत व माता का नाम श्रीमती ममता राजपूत अंकित है। जबकि सुरेश सिंह राजपूत व सुरेश सिंह यादव एक ही व्यक्ति के नाम हैं। इसी प्रकार श्रीमती ममता राजपूत व श्रीमती ममता यादव एक ही महिला के नाम हैं। अतः सूचना उपरान्त हमारे पुत्र ऋषभ राजपूत के समस्त शैक्षणिक, शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सुरेश सिंह यादव व माता का नाम श्रीमती ममता यादव पढ़ा, लिखा व मान्य समझा जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

( सुरेश सिंह राजपूत )

( सुरेश सिंह यादव )

(SURESH SINGH RAJPOOT)

(SURESH SINGH YADAV)

( ममता राजपूत )

( ममता यादव )

(MAMTA RAJPOOT)

(MAMTA YADAV)

(781-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्री राधिया मण्डलोई, आयु 44 वर्ष, निवासी गोकुल नगर, नर्मदा गौशाला के पास बड़वानी, तहसील व जिला बड़वानी मध्यप्रदेश तथा मेरी पत्नी श्रीमती शिवकुंवर मण्डलोई, आयु 40 वर्ष एवं पुत्री कु. मोहिनी मण्डलोई, आयु 17 वर्ष हैं। मेरी पुत्री के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण-पत्र में मेरा नाम राधेश्याम मण्डलोई तथा मेरी पत्नी का नाम शिवकन्या मण्डलोई है जो कि गलत नाम है। आज दिनांक के बाद से अब मेरी पुत्री कु. मोहिनी मण्डलोई के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा सही नाम श्री राधिया मण्डलोई तथा मेरी पत्नी का सही नाम श्रीमती शिवकुंवर मण्डलोई के नाम से जाना जाए तथा भविष्य में मेरी पुत्री के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा तथा मेरी पत्नी का सही नाम से हमें जाना-पहचाना जाये।

पुराना नाम :

नया नाम :

( राधेश्याम मण्डलोई )

( राधिया मण्डलोई )

शिवकन्या मण्डलोई।

शिवकुंवर मण्डलोई,

(782-बी.)

पता:-निवासी गोकुल नगर, नर्मदा गौशाला के पास, बड़वानी, तहसील व जिला बड़वानी (म.प्र.).

### उप-नाम परिवर्तन

पहले मुझे पराग बडजात्या के नाम से जाना एवं पहचाना जाता था अब मेरा नाम पराग जैन हो गया है। अतः मुझे भविष्य में पराग जैन के नाम से जाना एवं पहचाना जावे। सर्व-साधारण जाने।

पुराना नाम :

नया नाम :

( पराग बडजात्या )

( पराग जैन )

(784-बी.)

म. नं. 342, पैठनकर गली, शनवारा बुरहानपुर,  
जिला बुरहानपुर (म. प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पति स्व. श्री वीरपाल सिंह जेसी मिल में सुरपरवाईजर के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने अपने सर्विस रिकॉर्ड में नॉमिनी के रूप में मेरा नाम श्रीमती रानी राजवाला अंकित करा दिया था। जबकि मेरा सही नाम श्रीमती राधारानी है। यही नाम मेरे समस्त दस्तावेजों जैसे वोटरकार्ड, बैंक खाता आदि में अंकित है। अतः मुझे श्रीमती राधारानी पत्नी स्व. श्री वीरपाल सिंह के नाम से ही जाना, पहचाना जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

( रानी राजवाला )

( राधारानी )

(785-बी.)

पता-लाईन नं. 1, मकान नं. 50,  
बिरला नगर, ग्वालियर (म. प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-सूचित हो कि मेरे विवाह के पूर्व का नाम मधु मेघानी पुत्री श्री हीरानंद मेघानी है तथा मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती थी। सामाजिक रीति-रिवाज अनुसार मेरे विवाह उपरांत मेरा नाम परिवर्तित होकर संगीता चंदानी पत्नी श्री राजकुमार चंदानी हुआ है, विवाह उपरांत से मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ।

पुराना नाम :

( मधु मेघानी )

पुत्री श्री हीरानंद.

(786-बी.)

नया नाम :

( संगीता चंदानी )

पत्नी श्री राजकुमार चंदानी,  
निवासी-17-ए, पीएनबी कॉलोनी,  
ईदगाह हिल्स, भोपाल (म. प्र.).

### CHANGE OF NAME

I, Payal Sotani W/o Girish Thadani, R/o 9, Jawahar Nagar, Indore (M.P.) have changed my name after marriage to Vaani Thadani for all purposes whatsoever.

Old Name :

( PAYAL SOTANI )

(791-B.)

New Name :

( VAANI THADANI )

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व की शैक्षणिक मार्कशीटों में मेरा नाम कु. संजय कुमारी, संजय यादव एवं कु. संजय यादव पुत्री श्री सियाराम यादव अंकित हो गया है। शादी के बाद मेरा नाम बदलकर संजना यादव पत्नी श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह यादव हो गया है। यही नाम मेरे शादी के बाद के समस्त दस्तावेजों में अंकित है। अतः मुझे संजना यादव के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :

( कु. संजय कुमारी/संजय यादव/कु. संजय यादव )

पुत्री-श्री सियाराम यादव.

(787-बी.)

नया नाम :

( संजना यादव )

पत्नी श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह यादव,  
पता-बापू दण्डी की गोठ, कमाठीपुरा,  
माधवगंज, लश्कर, ग्वालियर (म. प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह पूर्व नाम कुन्दा मेहेन्दले पुत्री श्री गोपाल माधव मेहेन्दले था। विवाह उपरांत धार्मिक रीति-रिवाजों के नाम मेरा नाम श्रीमती सरिता केतकर पत्नी श्री संतोष केतकर हो गया है। भविष्य में मुझे व मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों में एवं दैनिक कार्य व्यवहार में श्रीमती सरिता केतकर के नाम से ही जाना, पहचाना व पुकारे जावे एवं भविष्य में मैं इसी नाम से जानी-पहचानी जाऊंगी।

पुराना नाम :

( कुन्दा मेहेन्दले )

पुत्री श्री गोपाल माधव मेहेन्दले.

(788-बी.)

नया नाम :

( सरिता केतकर )

पत्नी श्री संतोष केतकर,  
निवासी-102, श्रीधर कॉम्प्लेक्स, विन्चुरकर की गोठ,  
छत्री बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मेरी LIC की बीमा पॉलिसी में मिनी अग्निहोत्री दर्ज हो गया है, जबकि मेरे समस्त दस्तावेज जिनमें शासकीय बोटरकार्ड, आधारकार्ड और अंकसूची (मार्कशीट) में साक्षी अग्निहोत्री अंकित है। अतः भविष्य में मुझे साक्षी अग्निहोत्री पुत्री श्री कैलाश कुमार अग्निहोत्री के नाम से ही जाना व पहचाना जाए।

पुराना नाम :

( मिनी अग्निहोत्री )

(789-बी.)

नया नाम :

( साक्षी अग्निहोत्री )

पुत्री श्री कैलाश कुमार अग्निहोत्री,  
निवासी-न्यू रेशम मिल, प्रगति नगर,  
बिरला नगर, जिला ग्वालियर पिन-474004.

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती श्वेता मेहता पति श्री अमित मेहता, निवासी ग्राम नागदा, तहसील बदनावर, जिला धार (म.प्र.) की है। मेरे हाई स्कूल व ड्रायविंग लायसेन्स में शिखा नाम अंकित है। मेरा विवाह दिनांक 30-04-2006 को अमित मेहता से हुआ। मैंने अपना नाम शिखा जैन के स्थान पर श्रीमती श्वेता मेहता कर लिया है। शासकीय दस्तावेजों में जहां भी शिखा जैन अंकित हो वहां श्रीमती श्वेता मेहता पढ़ा एवं माना जावे। अब मैं श्रीमती श्वेता मेहता पति श्री अमित मेहता के नाम से जानी, पहचानी जाती हूँ और भविष्य में भी इसी नाम से जानी और पहचानी जाऊँगी।

पुराना नाम :

( शिखा )

पिता-सतीशचन्द्रजी जैन,

टी.आई.टी रोड, रत्लाम (म.प्र.)

(790-बी.)

नया नाम :

( श्वेता मेहता )

पति-श्री अमित मेहता,

निवासी-ग्राम नागदा, तहसील बदनावर,

जिला धार (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मैं, अमित राज आत्मज श्री अतुल बाबू राज, आयु वयस्क, निवासी बैरागढ़, भोपाल मेरे समस्त दस्तावेजों आधारकार्ड, पैनकार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम अमित राज आत्मज श्री अतुल बाबूराज दर्ज है जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज दसवीं, 12वीं, बी.कॉम्प, एम.बी.ए. की अंकसूची में मेरा नाम अमित आत्मज श्री अतुल बाबू दर्ज है। भविष्य में मेरा नाम अमित के स्थान पर अमित राज आत्मज अतुल बाबू राज के नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :

( अमित )

(795-बी.)

नया नाम :

( अमित राज )

पता-बैरागढ़, जिला भोपाल।

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नीलू जैन पति प्रकाश कुमार जैन, उम्र 53 व्यवसाय गृहकार्य शोभापुर, कॉलोनी माइनस क्वाटर नं. 1907, शक्ति नगर, पाथाखेड़ा, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल की निवासी हूँ। यह कि मैं, शापथकर्ता के पति प्रकाश कुमार जैन के सर्विस रिकार्ड CMPF, PS1, PS2, PS3 एवं PS4 मेरा नाम भूलवश शृङ्खला जैन दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम नीलू जैन है जो कि आधारकार्ड, परिचय-पत्र, राशनकार्ड एवं पासपोर्ट में सही दर्ज है। अतः भविष्य में मुझे समस्त दस्तावेजों सहित इसी नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :

( शृङ्खला जैन )

(796-बी.)

नया नाम :

( नीलू जैन )

पता-शोभापुर कॉलोनी, माइनस क्वाटर नं. 1907, शक्ति नगर, पाथाखेड़ा, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल।

### CHANGE IN NAME

I, SANJAY KUMAR KHARE here by declare that I have changed my name as SANJAY KHARE S/o KRISHNA CHANDRA KHARE So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name :

( SANJAY KUMAR KHARE )

New Name :

( SANJAY KHARE )

S/o Krishna Chandra khare,  
Address-95, Jaora Compound,  
Indore (M.P.).

(797-B.)

### नाम परिवर्तन

मैं, किशोर कुशवाह पुत्र श्री छत्रपाल कुशवाह सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का बोलता नाम कमल किशोर कुशवाह पुत्र श्री छत्रपाल कुशवाह था जो मेरे बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है और वर्तमान में मैं, किशोर कुशवाह पुत्र श्री छत्रपाल कुशवाह के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा बचपन का नाम कमल किशोर कुशवाह के स्थान पर किशोर कुशवाह पुत्र श्री छत्रपाल कुशवाह लिखा गया है जो कि गलत है। अतः मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम कमल किशोर कुशवाह के स्थान पर किशोर कुशवाह पुत्र श्री छत्रपाल कुशवाह लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम :

(कमल किशोर कुशवाह )

नया नाम :

(किशोर कुशवाह )

पुत्र-श्री छत्रपाल कुशवाह,  
पता-स्कूल के सामने महेशपुरा,  
अजयपुर, ग्वालियर (म.प्र.)

(798-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार शौर्यवर्द्धन सिंह परिहार पुत्र श्री पप्पू सिंह परिहार, आयु 19 वर्ष, निवासी 100 अपना घर कॉलोनी, बहोड़ापुर, ग्वालियर का नाम पूर्व में अमन परिहार था तथा मेरे पक्षकार को अमन परिहार के नाम से ही जाना व पहचाना जाता था। यहकि वर्तमान में मेरे पक्षकार द्वारा अपना नाम परिवर्तित कर शौर्यवर्द्धन सिंह परिहार रख लिया गया है जो कि मेरे पक्षकार के शैक्षणिक दस्तावेजों एवं आधारकार्ड में अंकित है। अतः मेरे पक्षकार का नाम अमन परिहार के स्थान पर शौर्यवर्द्धन सिंह परिहार जाना व पहचाना जाये।

मनीष कुमार मंगल,

(एडवोकेट)।

(799-बी.)

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सरस्वती पत्नी श्री जगदीश सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम श्रीमती सरस्वती पत्नी श्री जगदीश है और मैं वर्तमान में भी इसी नाम से जानी-पहचानी, एवं पुकारी जाती हूँ जबकि भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा नाम श्रीमती सरबती देवी पत्नी श्री जगदीश कुशवाह लिखा गया है जो कि गलत एवं असत्य है। अतः मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा नाम श्रीमती सरबती देवी के स्थान पर श्रीमती सरस्वती पत्नी श्री जगदीश लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(सरबती देवी )

नया नाम :

(सरस्वती )

पत्नी-श्री जगदीश ,

पता-जमाहर, जमाहर ग्वालियर (म.प्र.)

(800-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र जयेश जारोलिया की शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं CBSE की अंकसूची वर्ष 2019 में मेरा संक्षिप्त नाम जे.पी. जारोलिया अंकित है, जबकि मेरा पूरा नाम जगदीश प्रसाद जारोलिया है। मेरे सभी दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड एवं सभी अंकसूची में जगदीश प्रसाद जारोलिया ही है। अतः मेरे पुत्र के दस्तावेज में जगदीश प्रसाद जारोलिया सुधार किया जावे, आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(जे.पी. जारोलिया )

(J. P. JAROLIA)

नया नाम :

(जगदीश प्रसाद जारोलिया )

(JAGDISH PRASAD JAROLIA)

निवासी-एस-1, LIC अधिकारी, आवास सिटी सेन्टर,

ग्वालियर (म.प्र.).

(801-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र रॉयल शिवहरे के पेन कार्ड में मेरा नाम नरेन्द्र शिवहरे अंकित है जबकि मेरा नाम जितेन्द्र शिवहरे है मेरे सभी दस्तावेजों में जैसे आधारकार्ड, वोटरकार्ड, पेनकार्ड एवं सभी में जितेन्द्र शिवहरे ही लिखा है अतः मेरे पुत्र के पेनकार्ड में मेरा सही नाम नरेन्द्र शिवहरे के स्थान पर जितेन्द्र शिवहरे सुधार किया जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

( नरेन्द्र शिवहरे )

(802-बी.)

नया नाम :

( जितेन्द्र शिवहरे )

राजपायगा रोड, लशकर ग्वालियर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मैं, कल्लू पुत्र श्री कल्ला बेग सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का बोलता नाम रईस खान था जो मेरे बीमा पॉलिसीयों एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है और वर्तमान में, मैं कल्लू पुत्र श्री कल्ला बेग के नाम से ही जाना, पहचाना, एवं पुकारा जाता हूँ और कल्लू के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसीयों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा बचपन का नाम रईस खान लिखा गया है जो कि गलत है अतः मेरी बीमा पॉलिसीयों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम रईस खान के स्थान पर कल्लू लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

( रईस खान )

(809-बी.)

नया नाम :

( कल्लू )

पता-मेवाती मोहल्ला, लधेड़ी किला गेट,  
ग्वालियर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मैं, सान्या भोजवानी (Sanya Bhojwani) (नया नाम) पत्नी श्री राजेश भोजवानी (Rajesh Bhojwani) पुत्री श्री माधव आहूजा (Madhav Ahuja), निवासी:- म.नं. टी-11, इन्द्रप्रस्त कालोगी ऐयर पोर्ट रोड, जिला भोपाल (म.प्र.) कि निवासी हूँ मेरा विवाह हिन्दु रीति-रिवाज से राजेश भोजवानी (Rajesh Bhojwani) से हुआ है। विवाह के पूर्व मेरा नाम कुमारी पायल आहूजा (Ku. Payal Ahuja) पुत्री श्री माधव आहूजा (Madhav Ahuja) था परन्तु शादी के बाद अब मुझे मेरे नया नाम श्रीमती सान्या भोजवानी (Sanya Bhojwani) पत्नी श्री राजेश भोजवानी (Rajesh Bhojwani) के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

( कुमारी पायल आहूजा )

( KU. PAYAL AHUJA )

पुत्री-श्री माधव आहूजा

( MADHAVA AHUJA )

(810-बी.)

नया नाम :

( सान्या भोजवानी )

( SANYA BHOJWANI )

पत्नी-श्री राजेश भोजवानी,

( RAJESH BHOJWANI )

### नाम परिवर्तन

मैं, विजय सिंह मरावी (Vijay Singh Maravi) पुत्र श्री गया प्रसाद मरावी (Gaya Prasad Maravi), निवासी: म.नं. एच.93, एस.आर.जी. अवधपुरी पिपलानी, जिला भोपाल (म.प्र.) मेरी पुत्री रितिका मरावी (Ritika Maravi) पुत्री श्री विजय सिंह मरावी (Vijay Singh Maravi) की केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं, प्रवास प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम वी एस मरावी (V S Maravi) अंकित है जो गलत है, जबकि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम विजय सिंह मरावी (Vijay Singh Maravi) अंकित है। जो सही है, मेरी पुत्री के सभी विध्यालीन दस्तावेजों सहित अन्य अभिलेखों में मेरा सही नाम विजय सिंह मरावी (Vijay Singh Maravi) दुरुस्त किया जावे, मुझे मेरे नये नाम विजय सिंह मरावी (Vijay Singh Maravi) पुत्र श्री गया प्रसाद मरावी (Gaya Prasad Maravi) से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

( वी एस मरावी )

( VS MARAVI )

पुत्र-श्री गया प्रसाद मरावी

( GAYA PRASAD MARAVI )

(811-बी.)

नया नाम :

( विजय सिंह मरावी )

( VIJAY SINGH MARAVI )

पुत्र-श्री गया प्रसाद मरावी,

( GAYA PRASAD MARAVI )

### नाम परिवर्तन

मैं, संतोष (Santhosh) (नया नाम) पुत्र श्री विस्वम्भरन (Viswambharan), निवासी:- म.नं. ए-15, निर्मल पैलेस एस.बी.आई. अवध्यपुरी, जिला भोपाल (म.प्र.) का निवासी हूं तथा मेरा पुराना के.वी संतोष (K.V Santhosh) पुत्र श्री के. के विस्वम्भरन ( K.K Viswambharan) था मैं अब से सदैव सभी अभिलेखों, प्रलेखों, आधार कार्ड, पेन कार्ड तथा कागजातों पर और सभी कार्यवाहियों, व्यवहारों तथा लेन-देन में निजी तौर पर सभी अवसरों पर अपने पुराने नाम की जगह नया नाम संतोष (Santhosh) पुत्र श्री के. के. विस्वम्भरन ( K.K.Viswambharan) के नाम से जाना व पहचाना जाऊँगा।

पुराना नाम :

(के. वी संतोष)

(K. V SANTHOSH)

पुत्र श्री के.के विस्वम्भरन

(K. K VISWAMBHARAN)

(812-बी.)

नया नाम :

(संतोष)

(SANTHOSH)

के.के. विस्वम्भरन,

(K.K.VISWAMBHARAN)

### नाम परिवर्तन

मैं, रमेश शाक्यवार पुत्र श्री विजय सिंह शाक्यवार सर्व-साधारण को सूचित करता हूं कि मेरा बचपन का बोलता नाम गुड्डू शाक्यवार था जो मेरी पत्नी की बीमा पॉलिसी क्रमांक 202459305 एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है और वर्तमान में, मैं रमेश शाक्यवार के नाम से ही जाना, पहचाना, एवं पुकारा जाता हूं और रमेश शाक्यवार के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूं भूलवश (गलती) से मेरी पत्नी की बीमा पॉलिसी क्रमांक 202459305 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा बचपन का नाम गुड्डू लिखा गया है जो कि गलत है। अतः मेरी पत्नी की बीमा पॉलिसी क्रमांक 202459305 अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम गुड्डू शाक्यवार के स्थान पर रमेश शाक्यवार लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(गुड्डू शाक्यवार)

(813-बी.)

नया नाम :

(रमेश शाक्यवार)

पता- भोई मोहल्ला चौबे की गली, लाला का बाजार,  
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मैं, महेंद्र सिंह यादव पुत्र श्री धनीराम यादव सर्व-साधारण को सूचित करता हूं मेरा बोलता नाम महेंद्र सिंह था जो मेरी बी.एस.एन.एल विभाग के सर्विस बुक एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है जबकि मेरे सभी शासकीय प्रपत्रों जैसे- पैनकार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम महेंद्र सिंह यादव पुत्र श्री धनीराम यादव अंकित है एवं वर्तमान में मुझे महेंद्र सिंह यादव के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूं तथा महेंद्र सिंह एवं महेंद्र सिंह यादव मेरे ही नाम हैं तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम महेंद्र सिंह यादव के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊँगा। अतः मेरे बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम महेंद्र सिंह के स्थान पर सही नाम महेंद्र सिंह यादव लिखा एवं पढ़ा जाए। सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(महेंद्र सिंह)

(814-बी.)

नया नाम :

(महेंद्र सिंह यादव)

निवासी:- वार्ड न. 14, ग्वालियर मार्ग,  
इन्द्रगढ़, सेंद्रा, दतिया (म.प्र.).

### आम सूचना

हमारी फर्म मेसर्स श्रीधाम पेट्रो कृषि केन्द्र जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 04/16/02/0107/19 है जिसकी साझेदारी 22 जुलाई, 2019 को शुरू हुई थी। इस साझेदारी का हम समापन कर रहे हैं। इस फर्म पंजीयन में कुछ त्रुटियां थीं। इस कारण निरस्त किया जा रहा है।

मेसर्स श्रीधाम पेट्रो कृषि केन्द्र,  
हरीश जैन,  
भागवती बाई साहू,  
अमिष तिवारी,  
(भागीदार).

(792-बी.)

**NOTICE****U.S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

notice is hereby given that the firms " M/S DUNNY ENGINEERS " of Bhopal vide Registration No. 01/01/01/00263/13, 2013-2014 Dated 23-09-2013 undergone the following changes :-

1. That the both partners hereto have mutually agree to dissolve the said Partnership firm with effect from 01-04-2014 and Mr. Deepesh Lalchandani shall now run the said business as proprietor under the name and style of " M/S DUNNY ENGINEERS " and that he shall take over all assets and liabilities of dissolve firm.

M/s Dunny Engineers,  
**DEEPESH LALCHANDANI,**  
(Partner)

Add- Plot No.117, Sector-H, Industrial Area,  
Govindpura, Bhopal (M.P.).  
(793-B.)

**आम सूचना****( भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 72 के अधीन )**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स दाऊ कंस्ट्रक्शन, भोपाल मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्र. 01/01/01/0371/19, सन् 2018-19, दिनांक 01-02-2019 को किया गया था. जिसमें चार भागीदार थे. भागीदारी फर्म मेसर्स दाऊ कंस्ट्रक्शन, भोपाल से श्री सौरभ कुमार राज पुत्र राजेंद्र कुमार राज एवं श्री दीपक सिन्हा पुत्र विश्वजीत सिन्हा, दिनांक 24-10-2019 से पृथक् हो रहे हैं. और अब फर्म में दो साझेदार नरेंद्र सिंह सलूजा पुत्र हरजिंदर सिंह सलूजा एवं विकर्ण सिंह तोमर पुत्र विक्रम सिंह तोमर भागीदारी फर्म मेसर्स दाऊ कंस्ट्रक्शन, भोपाल में बने रहेंगे, चालू रहेंगे.

वास्ते,  
**दीपक नायक,**  
(एडवोकेट)

(794-B.)

Plot No.231, 2nd Floor Zone-1  
M.P. Nagar, Bhopal (M.P.).

**आम सूचना**

मेरे पक्षकार की ओर से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मैसर्स शिक्षा बुक पाइंट, कार्यालय 131/13, नियर युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जोन-2, एम. पी. नगर भोपाल मध्यप्रदेश में स्थित है. पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0207/15, दिनांक 07-08-2015 में फर्म के साझेदार दिनांक 01-04-2019 को श्री राजेंद्र राऊत आत्मज श्री गणेश राऊत, निवासी-फ्लैट नं. 404, आशिमा होम, कोलार रोड, भोपाल मध्यप्रदेश अपनी स्वेच्छा से उक्त फर्म से पृथक् (अलग) हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन को सूचित हो.

मैसर्स शिक्षा बुक पाइंट,  
**प्रतीक दीक्षित,**  
(साझेदार)

(803-बी.)

पता-131/13, जोन-2, एम. पी. नगर,  
भोपाल (म.प्र.).

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स एग्रीफेम इंडस्ट्रीज, औरंगपुरा, जुलवानिया रोड, खरगोन पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00134/10, 15 जुलाई, 2011 से रजिस्ट्रर ऑफ फर्म्स, खरगोन में पंजीकृत है. जिसमें कि श्री अनूप अग्रवाल, आशुतोष अग्रवाल, संजय अग्रवाल भागीदार हैं. विदित रहे कि दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से श्री आशुतोष अग्रवाल अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये हैं.

मैसर्स एग्रीफेम इंडस्ट्रीज,  
**अनूप अग्रवाल,**  
(पार्टनर/मैनेजर)  
पता-औरंगपुरा, जुलवानिया रोड,  
खरगोन (म.प्र.).  
(804-बी.)

## PUBLIC NOTICE

Know all men that the Nihaluddin Khan S/o Shri Azizuddin khan, Mahafooz Khan S/o Shri Mohd. Habib Khan and Quadir Ahmad Khan S/o Shri Sadruddin Khan have been retired from the registered firm M/s Aneesh Ahmad Khan, Parasia, Distt, Chhindwara ( Reg. No. 1 Year 1995-96 Dated 01-04-1995) w. e. f. 01-04-2017. The firm has last amended w. e. f. 01-04-2011 and duly approved by Asstt. Registrar Firm & Society vide letter No. 1544/12, dated 12-09-2012. Now the firm has four partners as 1. Rayees Ahamed Khan S/o Shri Azizuddin Khan, 2. Anish Ahamed Khan S/o Shri Azizuddin Khan, 3. Shakeel Ahamed Khan S/o Shri Badruddin Khan and 4. Tanveer Ahmed Khan S/o Shri Nihaluddin Khan.

For- M/s. Aneesh Ahmad Khan,  
TANVEER AHMED KHAN,  
(Partner).

(805-B.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे. नाथूलाल पाटीदार, पता-मकान नं. 425, ग्राम कनावटी, तहसील एवं जिला नीमच मध्यप्रदेश पंजीयन क्रमांक 07/54/01/00003/11, दिनांक 25-04-2011 है. जिसमें दिनांक 02-06-2016 से श्रीमती अनीता पाटीदार पति श्री महेश पाटीदार, नाथूलाल पाटीदार एचयूएफ, श्री गोपाल पाटीदार एचयूएफ सभी निवासी- मकान नं. 425, ग्राम कनावटी, तहसील एवं जिला नीमच अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं. उक्त दिनांक 02-06-2016 से इस फर्म से उनका कोई लेना-देना नहीं है. वर्तमान में इस फर्म मे. नाथूलाल पाटीदार में निम्नानुसार भागीदार रह गए हैं. 1. श्री नाथूलाल पाटीदार पिता चुनौलाल पाटीदार, 2. श्री गोपाल पाटीदार पिता श्री नाथूलाल पाटीदार, 3. श्रीमती बुलक बाई पाटीदार, 4. श्रीमती मधु पाटीदार पति श्री गोपाल पाटीदार.

फॉर मे. नाथूलाल पाटीदार,

द्वारा

गोपाल पाटीदार,

पता-मकान नंबर 425, ग्राम कनावटी.

(807-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मेसर्स रंगमहल थिएटर, टी.टी. नगर, भोपाल का फर्म पंजीयन क्रमांक 65/1964-65, दिनांक 15 अप्रैल, 1964 को रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल से पंजीयन प्राप्त किया, जिसमें भागीदार क्र. 1. श्री करतार सिंह, 2. श्री हरदीप सिंह एवं 3. गुलजार सिंह तीनों पुत्रगण स्व. श्री गुलाब सिंह रंगवाला, निवासी- भोपाल उक्त तीनों भागीदारों द्वारा उक्त फर्म का संचालन किया जा रहा था. प्रथम भागीदारी संशोधन दिनांक 1 अप्रैल, 2004 को किया जिसमें अन्य संगीत थिएटर का निर्माण एवं संचालन किया गया जिसका भागीदारी विलेख निष्पादित किया गया. द्वितीय भागीदारी संशोधन दिनांक 6 अगस्त, 2012 को किया जिसमें श्री करतार सिंह का स्वर्गवास दिनांक 02 अगस्त, 2012 को हो गया. इनके उत्तराधिकारी पुत्र श्री रनबीर सिंह पुत्र स्व. श्री करतार सिंह को भागीदार बनाया गया. भागीदारी विलेख निष्पादित किया गया. तृतीय भागीदारी संशोधन दिनांक 13 दिसम्बर, 2014 को किया जिसमें श्री गुलजार सिंह का स्वर्गवास दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 को हो गया. इनके उत्तराधिकारी पत्नी श्रीमती दर्शन गुलजार एवं पुत्र श्री ऐश्विन्द्र सिंह पत्नी/पुत्र स्व. श्री गुलजार सिंह को, तथा पुत्री श्रीमती पूनम गुलजार, बब्बर पत्नी श्री अजीत सिंह बब्बर एवं श्री रणदीप सिंह, श्री प्रदीप सिंह पुत्रगण श्री हरदीप सिंह को सभी भागीदारों की आपसी सहमति से भागीदारी विलेख में शामिल किया. इस प्रकार सभी सात भागीदार फर्म का संचालन करने लगे. फर्म के अंतर्गत अन्य हिसाब-किताब, लेखा पुस्तकें व्यवस्थित करने हेतु भागीदारी विलेख निष्पादित किया गया. चतुर्थ भागीदारी संशोधन दिनांक 01 अप्रैल, 2017 को किया गया जिसके अंतर्गत सभी सातों भागीदारों की आपसी सहमति से फर्म का कार्य संचालन, व्यवस्था भागीदारों को सौंपी, जिससे की फर्म कार्य को व्यवस्थित शीघ्र किया जा सके. इसकी जबाबदारी भागीदारों को प्रदान की गई. पंचम भागीदारी संशोधन दिनांक 8 सितम्बर, 2018 को किया गया जिसमें श्री हरदीप सिंह पुत्र श्री गुलाबसिंह रंगवाला का स्वर्गवास दिनांक 07 सितम्बर, 2018 को हो गया. भागीदारी संशोधन विलेख में श्री मनवीर सिंह पुत्र श्री रणबीर सिंह को भागीदारी में शामिल किया गया. पुनः सातों भागीदारों द्वारा फर्म का संचालन किया गया जिसका भागीदारी विलेख निष्पादित किया गया. षष्ठम संशोधन दिनांक 1 जनवरी, 2019 को किया गया जिसमें श्री रणबीर सिंह पुत्र स्व. श्री करतार सिंह दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को स्वेच्छा से भागीदारी फर्म से निवृत्त हो गए. फर्म के अंतर्गत वर्तमान में छः भागीदार हैं जो आपसी सहमति से भागीदारी विलेख में संशोधन किया गया तथा भागीदारी विलेख में लिखी गई समस्त कंडिका अनुसार फर्म का संचालन करेंगे. यह सूचना सर्व-साधारण तथा आम को सूचित होते.

रामेश्वर डोबले,

(एडवोकेट)

पता-ए-ब्लॉक, एफबी-8, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स,  
हबीबगंज, भोपाल (म.प्र.).

(806-बी.)

### आम सूचना

मैं, अपने पक्षकार मेसर्स. ज्योति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी हरदा द्वारा चांडक चौरहा हरदा, जिला हरदा मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन रजिस्ट्रर फर्म एवं संस्थायें भोपाल में पंजीयन क्र. 112/2002, दिनांक 22-10-2002 को हुआ जिसके भागीदार (1) श्री गोरी शंकर अग्रवाल, (2) श्री दीपक कुमार अग्रवाल, (3) श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, (4) श्रीमति सीमा अग्रवाल, (5) श्रीमति वैशाली अग्रवाल सभी भागीदार निवासी-हरदा मध्यप्रदेश जिसमें कि दिनांक 01-04-2019 से भागीदार क्र. (6) श्री पलाश अग्रवाल पुत्र श्री दीपक कुमार अग्रवाल, (7) संस्कार अग्रवाल पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल भागीदार के रूप सम्मालित/शामिल किये गये हैं।

उक्त भागीदारी संशोधन विलेखानुसार नये साझेदारों को संलेख में भागीदार के अधिकार प्राप्त होंगे।

द्वारा

एन. के. साहू,  
(एडवोकेट)

पता-एफ-9, एलाइंड काम्प्लेक्स,  
मोती मस्जिद के सामने, भोपाल।

(808-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म GREEN FARM DEVELOPERS जो दिल्ली वाली बिल्डिंग, गुब्बारा फाटक, जिन्सी नाला नं. 2, लश्कर, ग्वालियर में स्थित है जिसका पंजीयन क्र. 02/42/01/0229/19, दिनांक 15-11-2019 जिसमें दिनांक 28-11-2013 को भागीदार श्रीमती अनीता सोनी पत्नी श्री लक्ष्मण सोनी 32, सात भाई की गोठ, लश्कर, ग्वालियर फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो रही हैं। आमजन एवं सर्वजन सुचित हों।

Green Farm Developers,  
राम कुमार गोयल,  
(भागीदार)

पता-दिल्ली वाली बिल्डिंग, गुब्बारा फाटक,  
जिन्सी नाला नं.-2, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(815-बी.)

### आम सूचना

1. श्रीमती प्रतिभा गौतम पत्नि श्री शरद गौतम, आयु 45 वर्ष, प. क्र.-1.
2. श्री पुनीत गौतम पुत्र स्व. श्री हरिशंकर गौतम आयु 44 वर्ष, प. क्र.-2
3. श्री शरद गौतम आयु 44 वर्ष स्व. श्री हरिशंकर गौतम आयु 49 वर्ष प. क्र.3 सभी निवासगण 430, सुरेश नगर, थाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश।

यह कि, प. क्र.1 एवं प. क्र.2 इस फर्म में क्रमशः 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत के भागीदार थे। प. क्र. 1 व प. क्र.2 की सहमति से प. क्र. 3 को फर्म में नया भागीदार बनाया गया जिसमें प. क्र.1 की भागीदारी के स्थान पर पक्ष क्र.3 का माना जायेगा एवं प. क्र.1 स्वेच्छा से आज दिनांक से मुक्त हो गई है और अपने स्थान पर प. क्र. 3 को भागीदारी में सम्मिलित किया गया है। जिसमें प. क्र. 1 व प. क्र. 2 को कोई आपत्ति नहीं है। प. क्र. 2 व 40 प्रतिशत एवं प. क्र. 3 60 प्रतिशत के भागीदार रहेंगे। यहकि, बैंक खाता प. क्र.3 श्री शरद गौतम द्वारा संचालित होगा।

बालाजी इंटरप्राइजेज़,  
पुनीत गौतम,  
(भागीदार)  
पता-430, सुरेश नगर, थाटीपुर,  
ग्वालियर (म.प्र.).

(816-बी.)

### NOTICE

Two Partners of the Firm has been retired from 25.07.2019 one is Mr. Arvind Sharma S/o Shri Laxman Prasad Sharma second is partner Mr. Mukesh Sharma S/o Shri Laxman Prasad Sharma, and one partner Mr. Deepak Pamnani S/o Arjun Das Pamnani became partner of the firm from 25.07.2019 Remaining Partners i.e. Mr. Sumit Bajaj, Rakesh Udhani, Ajay Pathak and new admitted partner Mr. Deepak Pamnani Carry on the business namely M/s Maa Vaishnavi Granite address at Flat no. 301 Ashirwad Apartment opp. Dr. Prajapati, Bapu Dandh Ki Goth, Lakkad Khana, Lashkar, Gwalior M.P. 474001.

For M/s- Maa Vaishnavi Granite  
**ARVIND SHARMA,**  
(Partner).

(817-B.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स जय सिद्ध बाबा स्टोन क्रेशर, पता 1, ग्राम बामौर बदरवास, जिला शिवपुरी है। जिसका पंजीयन क्रमांक 02/41/08/0023/15 एवं दिनांक 23.04.2015 है जिसमें भागीदार के रूप में दिनांक 02.11.2019 को भागीदार श्री सुनील वर्मा पुत्र श्री मिश्रीलाल वर्मा, निवासी ग्राम बाछौरा, तह. पोहरी, जिला शिवपुरी स्वेच्छा से पृथक् हो रहे हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मैसर्स जय सिद्ध बाबा स्टोन क्रेशर,

गोविन्द चौहान,

( भागीदार)।

पता-1, ग्राम बामौर, बदरवास,

जिला शिवपुरी।

(818-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स के. के. फायर्बर्स, ग्राम बार्डिया, कसरावद रोड तहसील, जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक 03/30/01/00021/06, 01 जून 2006 से रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, इन्दौर में पंजीकृत है। इस फर्म में खुशी अग्रवाल एवं किरण अग्रवाल भागीदार हैं। विदित रहे कि दिनांक 01 अप्रैल 2019 से किरण अग्रवाल अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा प्रीतेश अग्रवाल अपनी स्वेच्छा से सहभागीदार बन रहे हैं।

मैसर्स के. के. फायर्बर्स,

प्रीतेश अग्रवाल,

(पार्टनर/मैनेजर)

ग्राम बार्डिया, कसरावद रोड तहसील,

जिला खरगोन।

(819-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स पापा कांस्ट्रक्शन एण्ड स्प्लायर, सतना का पंजीयन क्रमांक 05/26/01/00209/14, दिनांक 05/02/2014 पर पंजीकृत फर्म है। उक्त फर्म में पंजीयन के समय श्री हिमांसू तिवारी, श्री धीरेन्द्र चतुर्वेदी व श्री शैलेन्द्र कुशवाहा भागीदार थे। उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 25/10/2019 को श्री शैलेन्द्र कुशवाहा फर्म के भागीदार से पृथक् हो गये और उसी दिनांक को नितिन कुमार शर्मा फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये। यह सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है।

मैसर्स पापा कांस्ट्रक्शन एण्ड स्प्लायर,

हिमांसू तिवारी,

( भागीदार)।

सतना, जिला सतना (म.प्र.).

(820-बी.)

### विविध

#### न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास ( अनुविभागीय अधिकारी ) बैहर

राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/बी-113

वर्ष 2017-2018 मौजा-परसवाड़ा

तहसील-परसवाड़ा, जिला-बालाघाट (म.प्र.).

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 नियम 30 वां की धारा 5(2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम 5(1) के अनुसार]

चूंकि अखिल भारतीय कलार समाज विकास ट्रस्ट परसवाड़ा के न्यासकर्ता (अध्यक्ष) रामेश्वर प्रसाद सोनेकर आत्मज स्व. शारदा प्रसाद सोनेकर, जाति कलार, निवासी-परसवाड़ा, तहसील-परसवाड़ा, जिला-बालाघाट ने मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के तहत नीचे दर्शाई गई सम्पत्ति के लिये पब्लिक ट्रस्ट का पंजीयन कराने हेतु आवेदन दिया है।

अतएव सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई मेरे न्यायालय में दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 दिन गुरुवार के समय 11.00 बजे दोपहर को नियत की गई है।

कोई व्यक्ति उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति का हितार्थी हो और उसे ट्रस्ट के संबंध में कोई आपेक्षा करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो, तो वह अधिसूचना के निकलने से एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रक्रिया प्रस्तुत करें और नियत तिथि के दिन स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट द्वारा मेरे समक्ष उपस्थित हों। निर्धारित समय के समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आपेक्षा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

**अनुसूची**

1. लोक न्यास का नाम : अखिल भारतीय कलार समाज विकास ट्रस्ट-परसवाड़ा, तहसील- परसवाड़ा, जिला-बालाघाट (म.प्र.).
2. चल सम्पत्ति का विवरण : 8500.00 (आठ हजार पाँच सौ रुपये मात्र).
3. अचल सम्पत्ति का विवरण : 900 वर्ग फुट जमीन मौजा कुमनगांव. प.ह.न.-7, खसरा नंबर 95/20/1 रकबा 0.02 डिसमील.

**गुरु प्रसाद, (IAS)**

अनुविभागीय अधिकारी.

(947)

**न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) छिन्दवाड़ा**

रा.प्र.क्र.01/बी-113 (1)/2019-20.

प्रारूप-पांच

मौजा-रोहनाकलां रा.नि.मं. छिन्दवाड़ा-2

[नियम 5 (1) देखिये]

तहसील व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

ता. पेशी. 09/12/2019.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा-2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) द्वारा]

चूंकि श्री शिवजी, देवीजी मंदिर न्यास, रोहनाकलां छिन्दवाड़ा की ओर से अध्यक्ष जय सक्सेना, उपाध्यक्ष दिव्यकांत (गोलू) यादव, सचिव विक्रम राजपूत, कोषाध्यक्ष अजय सक्सेना, निवासी-रोहनाकलां, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन किया है।

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन पर मेरे न्यायालय में दिनांक 04 नवम्बर, 2019 को विचार के लिए लिया जावेगा।

अतः मैं, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/लोक न्यास अधिकारी, जिला छिन्दवाड़ा के लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

**अनुसूची**

( लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण )

“ श्री शिवजी, देवीजी मंदिर न्यास रोहनाकलां छिन्दवाड़ा तहसील व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

मौजा सेहनाकलां में स्थित खसरा नंबर 566/1 रकबा 7.285 हेक्टर भूमि”

(948)

रा.प्र.क्र.01/बी-113 (1)/2019-20.

प्रारूप-चार

मौजा-रोहनाकलां रा.नि.मं. छिन्दवाड़ा-2

[नियम 5 (1) देखिये]

तहसील व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

ता. पेशी. 09/12/2019.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा-2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) के द्वारा]

चूंकि श्री शिवजी, देवीजी मंदिर न्यास, रोहनाकलां छिन्दवाड़ा की ओर से अध्यक्ष जय सक्सेना, उपाध्यक्ष दिव्यकांत (गोलू) यादव, सचिव विक्रम राजपूत, कोषाध्यक्ष अजय सक्सेना एवं अन्य न्यासी, निवासी-रोहनाकलां, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अंदर दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### अनुसूची

क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग
1.	चल सम्पत्ति	1-चांदी के वर्तन/जेवर	200 ग्राम कीमत 15,000/- रुपये.
	2-सोने के जेवर	5 ग्राम कीमत 16,000/- रुपये.	
	3-नगद राशि	10,000/- रुपये.	
2.	अचल सम्पत्ति	मौजा रोहनाकलां स्थित खसरा नंबर 566/1 रकबा 7.285 हेक्टर भूमि.	

अतुल सिंग,

(948-ऐ)

अनुविभागीय अधिकारी (ग.).

### न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, जूनी इन्दौर, इंदौर

#### फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री विजय कुमार खटोड़ पिता स्व. श्री राम कुमार खटोड़, निवासी ऐ-4, सुभाष नगर, इन्दौर (म.प्र.) के द्वारा “परवाल सेवा संस्थान परमार्थिक न्यास” कार्यालय पता-82, सर्वोदय नगर, इन्दौर (म.प्र.) का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

#### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“परवाल सेवा संस्थान परमार्थिक न्यास”.
पता	:	82, सर्वोदय नगर, इन्दौर (म.प्र.).
चल सम्पत्ति	:	रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र) जिससे न्यास शुरू किया जा रहा है।
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 05 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(949)

#### फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री रमेश कुमार शर्मा पिता श्री रामसेवक शर्मा, निवासी 7, संचार नगर एक्सटेन्शन, कनाडिया रोड, इन्दौर (म.प्र.) के द्वारा “वरिष्ठ नागरिक साँझाम पारमार्थिक ट्रस्ट” कार्यालय पता-7, संचार नगर, एक्सटेन्शन, कनाडिया रोड, इन्दौर (म.प्र.) का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

## परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“वरिष्ठ नागरिक सांईधाम पारमार्थिक ट्रस्ट”.
पता	:	7, संचार नगर, एक्सटेन्शन, कनाडिया रोड, इन्दौर (म.प्र.).
चल सम्पत्ति	:	रुपये 21,000/- (अक्षरी रुपये इक्कीस हजार मात्र) है। जिससे न्यास शुरू किया जा रहा है।
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 05 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(950)

## फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक कल्पना मेहता पिता श्री आनन्द सिंह मेहता, निवासी 235-बी, अनुप नगर, इन्दौर (म.प्र.) के द्वारा “जुम्बिश ट्रस्ट” कार्यालय पता-413-ए, महालक्ष्मी नगर, इन्दौर (म.प्र.) का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

## परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“जुम्बिश ट्रस्ट”.
पता	:	413-ए, महालक्ष्मी नगर, इन्दौर (म.प्र.).
चल सम्पत्ति	:	रुपये 1,50,000/- है। जिससे न्यास शुरू किया जा रहा है।
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 05 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(951)

शाश्वत शर्मा,

पंजीयक।

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास बण्डा, जिला सागर**

रा.प्र.क्र./02/बी-113/2016-17.

बण्डा, दिनांक 11 नवम्बर, 2019

ग्राम बण्डा, तहसील बण्डा।

अशोक कुमार जैन,  
निवासी बण्डा, तहसील बण्डा, जिला सागर म.प्र.

..... आवेदक

## विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदक

क्र./क/2291/रीडर-1/2019.—सर्व-साधारण को इश्तहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक अशोक कुमार जैन, निवासी बण्डा, जिला सागर द्वारा मौजा ग्राम बण्डा में स्थित श्री 1008 श्री देव पार्श्वनाथ दिग्म्बर जैन बण्डा में फौत न्यासियों के स्थान पर नवीन 11 न्यासी की नियुक्ति हेतु मंदिर समिति द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.	प्रस्तावित नाम	पद नाम
1.	श्री अशोक कुमार जैन	अध्यक्ष
2.	श्री ज्ञानचंद जैन बमाना	वरिष्ठ उपाध्यक्ष

क्र.	प्रस्तावित नाम	पद नाम
3.	श्री प्रेमचंद जैन बरेठी	उपाध्यक्ष
4.	श्री विजय कुमार जैन	मंत्री
5.	श्री पूरनचंद जैन जमुनिया	लोक सहमंत्री
6.	श्री सुमेरचंद जैन खटोरा वाले	उपमंत्री
7.	श्री मुनालाल जैन खटोरावाले	कोषाध्यक्ष
8.	डॉ. पूरनचंद जैन	संरक्षक
9.	श्री कमलकुमार बिलानी जैन	संरक्षक
10.	सिंघई अशोक कुमार	सदस्य
11.	श्री सनद कुमार	सदस्य

ग्राम सभा के प्रस्ताव अनुसार श्री 1008 श्री देव पार्श्वनाथ दिग्म्बर जैन बण्डा नवीन समिति का गठन किया जाना है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 को उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। म्याद गुजरने पर प्रस्तुत आपत्ति पर किसी भी प्रकार से कोई विचार नहीं किया जावेगा।

इश्तहार आज दिनांक 11 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

जीतेन्द्र कुमार पटेल,  
अनुविभागीय अधिकारी।

(952)

### न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, शहर वृत्त, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5(1) के अंतर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला भोपाल।

क्र. 721/री-1/न.श./2019-3. आवेदक श्री जीतेन्द्र वर्मा आ. स्व. श्री फूलचंद जी वर्मा, निवासी-67/3, महामाई का बाग रेल्वे स्टेशन भोपाल द्वारा “श्री राजराजेश्वर धाम ट्रस्ट” ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र सूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है।

4. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 14 नवम्बर, 2019 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के “एक माह” के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

#### अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	:	“श्री राजराजेश्वर धाम ट्रस्ट ”
कार्यालय का पता	:	चेम्बर नं. 205 लॉयर्स चेम्बर जिला न्यायालय के पास अरेंगा हिल्स, जिला भोपाल।
अचल सम्पत्ति	:	कुछ नहीं।
चल सम्पत्ति	:	27,000/- (सत्ताईस हजार रुपये.)

जमिल अहमद खान,  
रजिस्ट्रार।

(990)

### अन्य सूचनाएं

#### कार्यालय परिसमापक उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

दिनांक 30 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत

निमांकित सहकारी संस्था को परिसमापन में किया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	ग्रामीण शाख सहकारी संस्था मर्या., धुलकोट	51/17-06-2004	1665/16-10-2019

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें त्रुटि कि दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा कलेम मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

आर. आर. भट्ट,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

(953)

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 01 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत]

उप-आयुक्त सहकारी संस्थायें, खरगौन के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आसनगांव	1516/16-05-2017	1189/17-07-2019
2.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भुलवानिया	1461/21-12-2005	1360/05-11-2015
3.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काबरी	1274/31-01-2004	1361/05-11-2015
4.	सुतमिल कामगार कारीगार सहकारी संस्था मर्या., खरगौन	1123/06-10-1997	1099/27-07-2010
5.	महिला दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घेघावां	1629/01-03-2012	1188/17-07-2019
6.	नगरपालिका कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन	772/19-06-2014	1317/29-10-2014
7.	महिला साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन	688/18-06-1986	1099/27-07-2010
8.	अजा/अजजा साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन	60/11-01-2005	1327/31-10-2014
9.	आदिवासी कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन	76/01-07-2005	1327/31-10-2014
10.	वल्लभा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खरगौन	1478/01-03-2006	259/04-04-2014
11.	हरिजन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सोनिपुरा	616/05-02-1980	1059/26-06-2019
12.	बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मांगरूल	538/05-02-1980	1059/26-02-2019

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 सी/ग के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूं कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के भीतर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें त्रुटि कि दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने से दायित्वाधीन होंगे यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

सूचना आज दिनांक 01 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

बी. एल. सोलंकी,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

(971)

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगोन, दिनांक 01 अगस्त, 2019

[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत ]

उप-आयुक्त सहकारी संस्थायें, खरगौन के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	किसान फसल सुरक्षा सह. संस्था मर्या., गोगावां	1511/20-04-2007	793/10-08-2017
2.	बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ललनी	1505/20-04-2007	1101/04-07-2019
3.	दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लेपा	1944/14-03-2014	1184/17-07-2019
4.	दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कठोरा	1568/11-07-2012	1243/25-07-2019
5.	नागरजी बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., गोराडिया	1891/10-03-2014	1214/19-07-2019

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 सी/ग के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूं कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सुचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के भीतर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें त्रुटि कि दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से विचित होने से दायित्वाधीन होंगे यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

सूचना आज दिनांक 01 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

राधेश्याम चौहान,

(972)

परिसमापक एवं उप अंकेक्षक।

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगोन, दिनांक 28 अक्टूबर, 2019

[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत ]

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला खरगोन के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिजगोन	2138/16-11-2016	1211/19-07-2019
2.	दया साख सहकारी संस्था मर्या., कांकिरियांव,	1935/10-03-2014 234/15-11-2012	1257/
3.	देवी अहिल्या महिला साख सहकारी संस्था मर्या., महेश्वर	1039/12-02-1996	122/15-01-2018

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्हीं भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बंधित कोई लेखा पुस्तकें चल-अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इन सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर सम्बंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें। अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीज होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी। जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सूचना आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2019 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई।

एच. सी. यादव,

परिसमापक एवं उप अंकेक्षक।

(973)

### **कार्यालय परिसमापक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कर्मचारी सहकारी साख संस्थाएं, मर्या., खरगौन**

खरगौन, दिनांक 01 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत]

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कर्मचारी सह. साख संस्था मर्या., खरगौन को परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरित अधिकारी को धारा-70(1) के अंतर्गत संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक
1.	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कर्मचारी सह. साख संस्था मर्या., खरगौन।	862/09-09-1992	1623/18-11-2016

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शात परिसमापक को प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्हीं भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों पदाधिकारियों के पास इस संस्था से सम्बंधित कोई लेखा पुस्तकें चल-अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर सम्बंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें। अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस संस्था की उपरोक्त चीज होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी। जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सूचना आज दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई।

डी. एस. कोसरा,

परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी।

(974)

### **कार्यालय परिसमापक आदर्श बुनकर सहकारी संस्था मर्या., महेश्वर**

दिनांक 07 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./01.—आदर्श बुनकर सहकारी संस्था मर्या., महेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 517, दिनांक 13 फरवरी, 1978 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक 30, दिनांक 30 मार्च, 1999 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 07 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(975)

## कार्यालय परिसमापक देवी अहिल्या बुनकर सहकारी संस्था मर्या., महेश्वर

दिनांक 07 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./01.—देवी अहिल्या बुनकर सहकारी संस्था मर्या., महेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 666, दिनांक 16 अक्टूबर, 1984 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक 1020, दिनांक 17 मई, 2002 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 07 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(976)

## कार्यालय परिसमापक महिला बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मण्डलेश्वर

दिनांक 07 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के अंतर्गत]

क्र./01.—महिला बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 712, दिनांक 23 सितम्बर, 1988 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक 1462, दिनांक 19 दिसम्बर, 2000 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 07 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(977)

अब्दुल फकीर कुरैशी,  
तकनीकी निरीक्षक।

## कार्यालय परिसमापक जगदम्बा महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., जेतापुर (खरगौन)

दिनांक 11 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के अंतर्गत]

जगदम्बा महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., जेतापुर, तहसील खरगोन, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 405, दिनांक 27 नवम्बर, 1987 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक 170, दिनांक 07 फरवरी, 2005 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि

हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(978)

### **कार्यालय परिसमापक हरिजन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बड़गाँव (खरगौन)**

दिनांक 11 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

हरिजन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बड़गाँव, तहसील खरगोन, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 550, दिनांक 29 सितम्बर, 1980 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक 167, दिनांक 07 फरवरी, 2005 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(979)

### **कार्यालय परिसमापक हरिजन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बोरावाँ (खरगौन)**

दिनांक 11 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के अंतर्गत]

हरिजन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बोरावाँ, तहसील कसरावद, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 504, दिनांक 21 अक्टूबर, 1971 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक 166, दिनांक 07 फरवरी, 2005 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(980)

### **कार्यालय परिसमापक हरिजन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सोनीपुरा (खरगौन)**

दिनांक 11 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के अंतर्गत]

हरिजन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सोनीपुरा, तहसील खरगोन, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 616, दिनांक 30 मई, 1983 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक 166, दिनांक 07 फरवरी, 2005 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(981)

राजेश कुमार जोशी,  
तकनीकी निरीक्षक।

### कार्यालय परिसमापक साथिया प्राथ. सहकारी उप भंडार मर्या., खरगोन

खरगोन, दिनांक 19 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

साथिया प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक/केआरजीएन/1431, दिनांक 14 जुलाई, 2005 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/परि./2016/1059, खरगोन दिनांक 27 अगस्त, 2016 से अधिनियम की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे।

यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा/क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

(982)

### कार्यालय परिसमापक मातेश्वरी प्राथमिक सहकारी उप-भंडार मर्या., खरगोन

खरगोन, दिनांक 19 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

मातेश्वरी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक/केआरजीएन/1617, दिनांक 11 अगस्त, 2011 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/परि./2016/1059, खरगोन दिनांक 27 अगस्त, 2016 से अधिनियम, की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे।

यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा/क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

(983)

राजेन्द्र महाजन,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक।

### कार्यालय परिसमापक दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेथावा, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन

दिनांक 01 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत]

दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेथावा, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक/के.आर.जी.एन./907, दिनांक 05 अक्टूबर, 2003 को उप आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/793, खरगोन दिनांक 10 अगस्त, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (सी.ग.) के अंतर्गत मैं, एच. सी. यादव, उप अंकेक्षण एवं परिसमापक, दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मेथावा, तहसील, बड़वाह, जिला खरगोन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 01 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गई।

एच. सी. यादव,

(984)

उप. अंकेक्षक एवं परिसमापक।

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, खरगौन

दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला खरगौन द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं के सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	माँ अंबिका बीज उत्पादक सहकारिता मर्या., खरगौन.	1327/31-10-2014	10/23-08-2002	खरगौन	बी. एल. सोलंकी
2.	अनुसूचित जाति एवं जनजाति साख सहकारी मर्या., खरगौन.	1327/31-10-2014	60/11-01-2005	खरगौन	बी. एल. सोलंकी
3.	आदिवासी कर्म. साख सहकारिता मर्या., खरगौन.	1327/31-10-2014	76/01-07-2005	खरगौन	बी. एल. सोलंकी
4.	निमाड़ बीज उत्पादक सह. सं. मर्या., खरगौन.	1309/30-10-2015	476/15-03-1972	खरगौन	बी. एल. सोलंकी

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारण/दावेदारण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(985)

दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला खरगौन द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत

निम्नलिखित संस्थाओं के सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	नगर पालिका कर्म., साख सह. संस्था मर्या., खरगौन.	1317/29-10-2014	772/19-06-2014	खरगौन	बी. एल. सोलंकी
2.	निमाड् साख सह. संस्था मर्या., खरगौन.	1393/06-11-2009	01/10-11-2000	खरगौन	बी. एल. सोलंकी
3.	ऊँ शिवम अनुसूचित जाति, जनजाति बहु. सं., खरगौन.	146/10-02-2009	15/04-01-2003	खरगौन	बी. एल. सोलंकी
4.	अरहित ऑफसेट सह. प्रेस नूतन नगर खरगौन.	1327/31-10-2014	05/22-10-2010	खरगौन	बी. एल. सोलंकी

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन कार्यालयीन दिवस में प्राप्त: 11.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें त्रिटी की दशा में साहूकारण/दावेदारण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(986)

दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (सी) के अंतर्गत ]

उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला खरगौन द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं के सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	रामकृष्ण गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., खरगौन.	1706/01-10-2002	43/30-06-1980	खरगौन	बी. एल. सोलंकी
2.	आहिर स्वर्णकार गृह निर्माण सह. सं. मर्या., खरगौन.	1099/27-07-2010	51/30-05-1983	खरगौन	बी. एल. सोलंकी
3.	महिला साख सहकारी समिति मर्या., खरगौन.	1099/27-07-2010	688/18-06-1986	खरगौन	बी. एल. सोलंकी
4.	सूतमिल कामगार सह. संस्था मर्या., खरगौन.	1099/27-07-2010	1153/06-10-1997	खरगौन	बी. एल. सोलंकी

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारागण/दावेदारागण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(987)

दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला खरगौन द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं के सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	खादी ग्रामो. बनुकर सह. समिति मर्या.,	2349/18-04-1979	71/23-11-1971	खरगौन	बी. एल. सोलंकी खरगौन.
2.	रेडिमेड वस्त्र सहकारी समिति मर्या.,	4004/13-09-1982	505/08-11-1976	खरगौन	बी. एल. सोलंकी पोखरखुर्द.
3.	जगदम्बा महिला गृह उद्योग सह. समिति मर्या.,	474/28-02-2002	405/27-11-1992	खरगौन	बी. एल. सोलंकी जैतापुर.
4.	आदि बहुउद्देशीय सहकारी संस्था	3928/27-09-1976	180/26-02-1965	भगवानपुरा	बी. एल. सोलंकी मर्या., भगवानपुरा.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारागण/दावेदारागण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाइ गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(988)

दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (सी) के अंतर्गत ]

उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला खरगोन द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं के सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	वल्लभ प्राथ. उपभोक्ता भंडार मर्या., खरगोन.	529/04-04-2014	1478/01-03-2006	खरगोन	बी. एल. सोलंकी
2.	दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्या., घटिया.	1233/20-09-2013	640/21-12-1983	खरगोन	बी. एल. सोलंकी
3.	वृक्ष सहकारी संघ मर्या., खरगोन	1959/30-11-2004	851/28-11-1991	खरगोन	बी. एल. सोलंकी
4.	तेल उत्पादक सह. समिति मर्या., खरगोन	4383/24-08-1971	622/26-06-1950	खरगोन	बी. एल. सोलंकी

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें त्रुटि की दशा में साहूकारण/दावेदारण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटंबारे से वर्चित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबुझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाइ गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

बी.एल.सोलंकी,

परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

(989)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

प्रबंधक/प्रशासक,

अम्बेडकर महिला दुर्घ उत्पादक,

सहकारी संस्था मर्या., पीपलरांवा.

अम्बेडकर महिला दुर्घ उत्पादक, सहकारी संस्था मर्या., पीपलरांवा जिसका पंजीयन क्रमांक 1281, दिनांक 30 अगस्त, 2012 है। वर्तमान में संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1489, दिनांक 04 सितम्बर, 2019 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया है। संस्था प्रशासक/संस्था सुपरवाईजर के आवेदन अनुसार संस्था के सदस्य निर्वाचन कराने में असमर्थ है व संस्था 2 वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है। संस्था अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है। जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था। उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये। इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 13 नवम्बर, 2019 कार्यालयीन समय में मय

रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। संस्था के परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(954)

देवास, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2019/1816.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मावरखेडी, पंजीयन क्रमांक 1296, दिनांक 07 मार्च, 2013 है, संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49 (7) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 898, दिनांक 26 सितम्बर, 2017 से संस्था का प्रशासक नियुक्त किया गया है, संस्था प्रशासक/सुपरवाइजर के आवेदन 04 सितम्बर, 2019 अनुसार संस्था विगत 03 वर्षों से बंद होकर अकार्यशील है तथा संस्था सदस्य निर्वाचन कराने के इच्छुक नहीं हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है जिसके तहत अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1620, दिनांक 24 सितम्बर, 2019 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जिसके जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था। उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है।

अतः मैं, डॉ. मनोज कुमार गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मावरखेडी, पंजीयन क्रमांक 1296, दिनांक 07 मार्च, 2013 है, को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री संजय देवलालीकर, उप-अंकेश्वक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(955)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1127, दिनांक 16 अप्रैल, 2013 दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसुडियाहक, तहसील बागली, जिला देवास जिसका पंजीयक क्रमांक 433, दिनांक 11 मई, 1982 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. सी. जायसवाल, पर्यवेक्षक संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था। तथा आदेश क्रमांक/परि./969, दिनांक 23 मार्च, 2018 से श्री ए. के. जैन, सहकारी निरीक्षक, वर्तमान में परिसमापक है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेश्वक निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(956)

देवास, दिनांक 25 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1825.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3196, दिनांक 21 नवम्बर, 2002 पदमोहन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयक क्रमांक 12, दिनांक 10 अक्टूबर, 1967 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एन. एस. भाटी, व.स.नि. संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था, तथा आदेश क्रमांक/परि./586, दिनांक 05 मार्च, 2014 से श्रीमती मंजूलता अग्रवाल वर्तमान में परिसमापक है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेश्वक निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(957)

उज्जैन, दिनांक 25 अक्टूबर, 2019

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2019/1826.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2131, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 गायत्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयक क्रमांक 380, दिनांक 05 मई, 1981 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्रीमती मंजूलता अग्रवाल, वरिष्ठ सहाकारी निरीक्षक को संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

मनोज कुमार गुप्ता,  
उप-पंजीयक।

(945)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 24 सितम्बर, 2019

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2019/897.—महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, निपानिया के द्वारा निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होने के उपरान्त भी निर्वाचन कराने में असर्वथ रही है। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालन मंडल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, श्रीमती सुरेखा अहिरवार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी.एस./1099, दिनांक 05 जुलाई, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र पुनः जारी करती हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 24 सितम्बर, 2019 को जारी करती हूँ।

(958)

विदिशा, दिनांक 14 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/957.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/764, विदिशा, दिनांक 24 जून, 2016 से माधव फल-सब्जी उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया गया था।

संस्था के परिसमापक द्वारा संस्था को पुर्जीवित करने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाना संस्था सदस्यों के हित में है।

अतः मैं, श्रीमती सुरेखा अहिरवार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) तथा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत माधव फल-सब्जी उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक/ए.आर.1/व्ही.डी.एस./594, दिनांक 12 सितम्बर, 2001 को पुनर्जीवित करती हूँ।

उपरोक्त सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन होने तक कार्य संचालन हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति अस्थायी रूप से नामांकित की जाती है।

1.	श्री राजेश शर्मा	अध्यक्ष	7.	श्री रामस्वरूप	संचालक
2.	श्रीमती ताराबाई	उपाध्यक्ष	8.	श्री गोपाल महेश्वरी	संचालक
3.	श्री भगवान सिंह	संचालक	9.	श्री रामसिंह	संचालक
4.	श्री राजेन्द्र सिंह	संचालक			
5.	श्री भगत सिंह	संचालक			
6.	श्री रंधीर सिंह	संचालक			

संस्था के लिए यह बाध्य कर होगा कि वह एक सप्ताह में निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत कर तीन माह के अन्दर निर्वाचन सम्पन्न करायें।

यह आदेश आज दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(959)

विदिशा, दिनांक 16 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/974.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1965, विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 से महर्षि वाल्मीकी साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया गया था।

संस्था के परिसमापक द्वारा संस्था को पुर्जीवित करने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाना संस्था सदस्यों के हित में है।

अतः मैं, श्रीमती सुरेखा अहिरवार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) तथा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत महर्षि वाल्मीकी साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक/ए.आर.व्ही.डी.एस./1056, दिनांक 28 जनवरी, 2017 को पुनर्जीवित करती हूँ।

उपरोक्त सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन होने तक कार्य संचालन हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति अस्थायी रूप से नामांकित की जाती है।

1.	श्रीमती आशा बोहत	अध्यक्ष	7.	श्री जगदीश गहलोत	संचालक
2.	श्री अमित बोहत	उपाध्यक्ष	8.	श्री विष्णु प्रसाद	संचालक
3.	श्री सुभाष बोहत	संचालक	9.	श्री किशन चावरिया	संचालक
4.	श्री संतोष चावरिया	संचालक	10.	श्री धनराज चावरिया	संचालक
5.	श्रीमती मुन्नी देवी चावरिया	संचालक			
6.	श्री विजय कटारे	संचालक			

संस्था के लिए यह बाध्य कर होगा कि वह एक सप्ताह में निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत कर तीन माह के अन्दर निर्वाचन सम्पन्न करायें।

यह आदेश आज दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

सुरेखा अहिरवार,  
उप-पंजीयक।

(960)

## कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 31 अक्टूबर, 2019

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत ]

क्र./परि./2019/2020.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/3060, दिनांक 25 सितम्बर, 2017 के द्वारा परिसमापन तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सनखेड़ा, पंजीयन क्रमांक/2144, दिनांक 10 जून, 1982 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री सुधीर मोने, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस सीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित है का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, द्वारा परिसमापन तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सनखेड़ा, पंजीयन क्रमांक/2144, दिनांक 10 जून, 1982 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है।

(961)

होशंगाबाद, दिनांक 31 अक्टूबर, 2019

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत ]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/225, दिनांक 02 फरवरी, 2019 के द्वारा परिसमापन ताज महिला साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, पंजीयन क्रमांक/3016, दिनांक 31 अक्टूबर, 2008 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्रीमती अनीता ठाकुर, परिसमापक एवं अंकेक्षक अधिकारी, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस सीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित है का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, द्वारा परिसमापन ताज महिला साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, पंजीयन क्रमांक/3016, दिनांक 31 अक्टूबर, 2008 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है।

(962)

होशंगाबाद, दिनांक 31 अक्टूबर, 2019

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत ]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/3011, दिनांक 25 सितम्बर, 2017 के द्वारा परिसमापन सुहाग प्राथमिक यातायात सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, पंजीयन क्रमांक/3277, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री जी. डी. पाल, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस सीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत् रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, द्वारा परिसमापन सुहाग प्राथमिक यातायात सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, पंजीयन क्रमांक/3277, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है।

(963)

बी. एस. परते,  
डिप्टी रजिस्ट्रार.

होशंगाबाद, दिनांक 31 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/87, दिनांक 06 जनवरी, 2016 के द्वारा परिसमापन मेकलसुता साख सहकारी समिति मर्यादित, जुन्हेटा, पंजीयन क्रमांक/3026, दिनांक 28 फरवरी, 2009 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एम. एस. पगारे, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत् रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे विहित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, द्वारा परिसमापन मेकलसुता साख सहकारी समिति मर्यादित, जुन्हेटा, पंजीयन क्रमांक/3026, दिनांक 28 फरवरी, 2009 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 19 जून, 2018 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है।

(964)

अखिलेश कुमार निगम,  
डिप्टी रजिस्ट्रार.

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 04 सितम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57-सी के अंतर्गत]

उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	श्री मां ईंट भट्टा औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., मगरानिया	576/23-03-1986	2405/27-01-2001
2.	ईंट भट्टा औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., शाजापुर	341/13-07-1952	173/30-01-2002
3.	आदिम जाति खनिज पत्थर सहकारी संस्था मर्या., लोदिया	253/16-12-1983	895/25-08-2008
4.	मालवा स्टील फर्नीचर औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., शाजापुर	341/13-07-1992	181/30-01-2002
5.	यातायात सहकारी संस्था मर्या., चकजियाजीपुर	587/29-11-1991	2332/17-01-2001
6.	यातायात सहकारी संस्था मर्या., कांजाखेड़ा	592/05-03-1992	2051/21-06-2001
7.	यातायात सहकारी संस्था मर्या., बेरछा (मंडी)	596/06-03-1992	2053/22-06-2001
8.	यातायात सहकारी संस्था मर्या., पिपलोदा	593/05-03-1992	2120/22-06-2001
9.	यातायात सहकारी संस्था मर्या., रूलकी	595/05-03-1992	2032/19-06-2001

अतः मैं, बी. एस. भंवर, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर म.प्र. सहकारी

सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, पुराना जिला पंचायत भवन, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(965)

बी. एस. भंवर,

परिसमापक एवं वरि. सह. निरी.

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, उज्जैन, जिला उज्जैन, के आदेश क्र./परि./20, उज्जैन, दिनांक..... के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	माँ अंजली बीज उत्पादक सहकारी संस्था, खडोतिया	217/20-08-2015	2417/07-07-2017
2.	सिंचन सहकारी संस्था मर्या., मौलाना	220/06-03-1964	427/31-01-1984
3.	विकास महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था खण्डावदा	1631/10-02-2004	1147/25-05-2015
4.	बलराम बनखेतीहर सहकारी संस्था मर्या., फतेहपुर	1665/23-03-2005	576/25-02-2016

अतः मैं, राजेन्द्र कुमार वर्मा, परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियां या अन्य कोई भी सामान तथा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

(966)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन, के आदेश क्र./परि./20, उज्जैन, जिला उज्जैन दिनांक..... के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आशावरी बीज उत्पादक सहकारी संस्था, खण्डवासुरा	1957/22-12-2014	2418/07-07-2017
2.	सांईराम बीज उत्पादक सह. संस्था, बलेडी	1411/14-06-2011	2418/07-07-2017

1	2	3	4
3.	विनायक बीज उत्पादक सह. संस्था, भैसलाकला	2171/20-08-2015	2418/07-07-2017
4.	माँ शीतला माता बीज उत्पादक सह. संस्था, दौन्हु	2170/20-08-2015	2418/07-07-2017

अतः मैं, राजेन्द्र कुमार वर्मा, परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियां या अन्य कोई भी सामान तथा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

(967)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/क्यू—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, के आदेश क्र./परि./20, उज्जैन, जिला उज्जैन दिनांक..... के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महीदपुर साख सहकारी संस्था मर्या., महीदपुर	121/14-05-2010	1629/05-05-2017
2.	दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्या., डुगरिया	1710/31-01-2008	2420/07-07-2017
3.	दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्या., बालोदा	866/26-07-1989	2420/07-07-2017
4.	नवदुर्गा बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., गैलाखेडी	2003/01-01-2015	2418/07-07-2017

अतः मैं, राजेन्द्र कुमार वर्मा, परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियां या अन्य कोई भी सामान तथा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

(968)

राजेन्द्र कुमार वर्मा,  
परिसमापक,

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर

दिनांक 04 नवम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./क्यू/2019.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक/परि./20/....., दिनांक..... द्वारा

निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लीलाखाडी, तहसील सीहोर	1744/03-02-2014	52/17-01-2019
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., फूलमोगरा, तहसील सीहोर	1322/12-03-2005	43/14-01-2019
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., इमलिया हसन, तहसील श्यामपुर	1808/31-10-2014	52/17-01-2019

अतः मैं, डी. सी. जैन, सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह ही समयावधि में मुझे कार्यालय उप-पंजीयक सहाकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् दबों या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(969)

दिनांक 04 नवम्बर, 2019

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./क्यू/2019.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक/परि./20/....., दिनांक..... द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	नारायण बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., हिनोता, तहसील श्यामपुरा.	1727/10-10-2013	51/17-01-2019
2.	बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., छतरपुरा, तहसील श्यामपुरा.	1423/04-05-2009	50/17-01-2019

अतः मैं, डी. सी. जैन, सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह ही समयावधि में मुझे कार्यालय उप-पंजीयक सहाकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् दबों या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

डी. सी. जैन,

परिसमापक एवं सह.निरीक्षक.

(970)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर 2019-अग्रहायण 8, शके 1941

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकी सूचनाएं

##### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम एवं फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 14 अगस्त, 2019

1. मौसम एवं वर्षा.—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा. संलग्न सांख्यिकी सूचना-1 में जिलों की तहसीलों के सामने वर्षा मिली मीटर में प्रतिवेदित की गई है.

2. प्रारम्भिक जुताई पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.
3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.
4. धान रोपाई पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.
5. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.
6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.
7. अन्य असामयक घटना से क्षति :- किसी भी जिले से किसी प्रकार की क्षति होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
8. फसल स्थिति :- जिलों से प्राप्त पत्रकों में फसल स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
9. सिंचाई:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है. संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में प्रतिवेदित किया गया है.
10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
12. बीज:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 14 अगस्त, 2019

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू, रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6.( अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़	70.0 45.0 25.8 40.0 25.0 30.0				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू, रोपाई चालू, जुताई चालू.	3. .. 4. (1) गन्ना, कपास, धान सामान्य ज्वार, बाजरा, उड़द, मूँग, तिल, मक्का, सोयाबीन समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई है.	5. पर्याप्त. 6.( अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा	47.5 21.2 62.5 68.0 57.0				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6.( अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लाहर 6. रौन+मिहोना 7. गोरमी 8. मौ	65.0 38.5 52.0 15.0 11.8 84.0 .. ..				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा समान, तिल, तुअर, गन्ना, सोयाबीन, उड़द सामान्य. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई है, 25%	5. पर्याप्त. 6.( अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरखार 4. चीनोर 5. घाटीगांव	27.1 16.2 9.0 .. 24.0				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू, रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँफली सामान्य, तिल समान, धान अधिक, ज्वार, बाजरा, मूँग कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6.( अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा 2. दतिया 3. इन्दरगढ़ 4. बढोनी 5. भांडेर	34.0 2.0 .. .. 8.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>6. जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू रोपाई चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6.(अ) संतोषजनक चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	52.0				
2. पिंडोर	23.0				
3. खनियाधाना	32.0				
4. नरवर	14.0				
5. करौरा	18.2				
6. कोलारस	68.0				
7. पोहरी	25.0				
8. बैराढ़	29.0				
9. बद्रखास	77.0				
<b>7. जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6.(अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	168.0				
2. ईसागढ़	72.0				
3. अशोकनगर	235.0				
4. चन्देरी	122.0				
5. नई सराय	..				
6. पिपराई	..				
7. शाढ़ौरा	..				
<b>8. जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड्ड समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6.(अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गुना	211.1				
2. राघोगढ़	221.0				
3. बमोरी	245.0				
4. आरोन	137.0				
5. चाचौड़ा	131.0				
6. मकसूदनगढ़	..				
7. कुम्भराज	133.0				
<b>9. जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, उड्ड, मूँग, तिल अधिक, धान, सोयाबीन, मूँगफली, तुअर, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6.(अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	21.0				
2. पृथ्वीपुर	33.0				
3. जतारा	33.0				
4. टीकमगढ़	46.0				
5. बल्देवगढ़	47.0				
6. पलरा	63.0				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	16.0				
<b>10. जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6.(अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..				
2. गौरीहार	24.0				
3. नौगांव	71.0				
4. छतरपुर	93.7				
5. राजनगर	68.0				
6. बिजावर	67.0				
7. बड़ा मलहरा	39.8				
8. लवकुशनगर	95.0				
9. बक्सवाहा	137.4				
10. महाराजपुर	..				
11. चंदला	..				
12. धुवारा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>11. ज़िला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू रोपाई चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6.( अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	45.4				
2. पन्ना	71.3				
3. गुन्नौर	51.0				
4. पवई	82.6				
5. शाहनगर	86.6				
6. देवेन्द्रनगर	71.3				
7. अमानगंज	51.0				
8. सिमरिया	82.6				
9. रैपुरा	86.6				
10. जयसिंह नगर	252.8				
<b>12. ज़िला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. रोपाई चालू	3. .. 4. (1) धान 10% कम, ज्वार 50% कम, मक्का समान. तुअर 10% कम, सोयाबीन 10% कम, मूँगफली 10% कम, उड्ड 5% कम, मूँग 20% कम, तिल 40% कम, (2) उपरोक्त फसलें सुधारी हुई हैं. 10%	5. अपर्याप्त. 6.( अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	220.0				
2. खुरई	233.0				
3. बण्डा	97.8				
4. सागर	206.2				
5. रेहती	192.5				
6. देवरी	196.2				
7. गढ़कोटा	166.0				
8. राहतगढ़	251.0				
9. केसली	149.8				
10. मालथोन	273.5				
11. शाहगढ़	71.0				
<b>13. ज़िला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. रोपाई चालू	3. .. 4. (1) सोयाबीन, तुअर, मूँग अधिक, उड्ड, धान कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6.( अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	116.0				
2. बटियागढ़	61.0				
3. दमोह	122.0				
4. पथरिया	89.0				
5. जवेरा	99.0				
6. तेन्दूखेड़ा	261.0				
7. पटेरा	131.0				
<b>14. ज़िला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू रोपाई चालू	3. .. 4. (1) धान 30% कम, तिल 2% कम, सोयाबीन 15% कम, उड्ड समान. मूँग 2% कम, ज्वार 25% कम, मक्का 5% कम, (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6.( अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	168.3				
2. मझगावां	106.0				
3. रामपुर-बघेलान	147.0				
4. नागौद	58.2				
5. उचेहरा	88.0				
6. अमरपाटन	145.0				
7. रामनगर	90.0				
8. मैहर	61.0				
9. कोठर	..				
10. विरसिंहपुर	40.0				
<b>15. ज़िला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू रोपाई चालू	3. .. 4. (1) धान समान, उड्ड 10% कम, मूँग 20% कम, तुअर 15% कम, ज्वार 20% कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6.( अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्याँथर	57.0				
2. सिरमौर	156.6				
3. मऊगंज	82.4				
4. हनुमना	84.5				
5. हुजूर	149.9				
6. गुढ़	141.4				
7. मनगावां	82.0				
8. सेमरिया	95.0				
9. जवा	30.0				
10. नईगढ़ी	96.2				
11. रायपुरकर्चुलियान	139.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>16. जिला शहडोल:</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू रोपाई चालू	3. .. 4. (1) मक्का 5% अधिक, तुअर 5% अधिक, तिल 2% अधिक, उड्ड 2% अधिक. धान 5% कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर 2. ब्यौहारी 3. जयसिंहनगर 4. बुढ़ार 5. गोहपारू 6. जैतपुर	63.0 98.0 83.0 61.0 86.0 189.0				
<b>17. जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू रोपाई चालू	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, सोयाबीन, मक्का समान. तिल 70% कम. उड्ड 90% कम. तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई. 5%, 15%	5. अपर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी 2. अनूपपुर 3. कोतमा 4. पुष्पराजगढ़	154.6 121.0 261.0 397.6				
<b>18. जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू रोपाई चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. .. 8. ..
1. बांधवगढ़ 2. पाली 3. चैदिया 4. नौरोजाबाद 5. मानपुर	66.0 61.0 .. .. 51.6				
<b>19. जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू रोपाई चालू	3. .. 4. (1) धान 25% कम, तुअर 2% कम मक्का, मूँग, उड्ड समान. तिल 15% कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. बहरी 7. रामपुरनैकिन	86.0 73.0 88.0 219.0 90.0 42.0 76.0				
<b>20. जिला सिंगरारौली</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू रोपाई चालू	3. .. 4. (1) मक्का समान. ज्वार, उड्ड, तिल समान. तुअर 2% कम, धान 25% कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई. 2%	5. .. 6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी 2. देवसर 3. सरई 4. माडा 5. सिंगरारौली	158.4 174.4 174.4 153.4 146.5				
<b>21.जिला मंदसौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन 15% बिगड़ी, मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई. 70%	5. अपर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मंदसौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुंधडक्का 9. संजीत 10. कथामपुर 11. दलोदा	237.4 130.2 246.5 176.6 298.5 308.4 266.3 .. .. .. 298.5				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>22. जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) उड़द 15% अधिक, ज्वार 10% अधिक, सोयाबीन 2% अधिक, मक्का 25% सुधरी हुई. मूँग (ब) अच्छी.	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	116.0				
2. नीमच	125.0				
3. सिंगौली	..				
4. जीरन	..				
5. रामपुर	..				
6. मनासा	213.6				
<b>23. जिला रत्लाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	171.0				
2. आलोट	209.0				
3. सैलाना	144.0				
4. बाजना	150.0				
5. ताल	191.6				
6. रावटी	175.2				
7. पिपलोदा	110.0				
8. रत्लाम	117.8				
<b>24. जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	180.0				
2. महिदपुर	174.0				
3. तराना	483.0				
4. घटिया	232.0				
5. उज्जैन	243.0				
6. बड़नगर	154.0				
7. नागदा	153.0				
<b>25. जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन 2% अधिक. (2) उपरोक्त फसल समान.	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौदा	231.0				
2. सुसनेर	87.8				
3. नलखेड़ा	76.0				
4. आगर	16.0				
<b>26. जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, उड़द, तुअर समान. मक्का 2% कम, मूँफली 2% कम, ज्वार 5% कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. .. 6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	174.0				
2. शाजापुर	216.4				
3. शुजालपुर	46.0				
4. कालापीपल	61.0				
5. पोलाय कलां	..				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..				
7. गुलाना	139.0				
<b>27. जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	315.0				
2. टोंकखुर्द	213.0				
3. देवास	114.0				
4. बागली	134.0				
5. कन्नोद	144.0				
6. हाटपिपल्या	106.0				
7. सतवास	162.0				
8. उदयनगर	111.2				
9. खातेगांव	163.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>28. जिला झावुआ :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) मक्का, सोयाबीन, उड़द, कपास, मूँगफली, ज्वार समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.
1. थांदला	238.8				7. पर्याप्त. 8. ..
2. मेघनगर	179.0				
3. पेटलावद	230.4				
4. झावुआ	260.0				
5. राणापुर	159.0				
6. रामा	327.0				
<b>29. जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2.	जुताई चालू बोनी चालू	3. .. 4. (1) सोयाबीन 2% अधिक, मक्का 2% अधिक. उड़द 2% अधिक. बाजरा 2% अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.
1. जोवट	199.8				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	228.6				
3. कटटीबाड़ा	520.0				
4. सौंडवा	242.0				
5. उदयगढ़	285.0				
6. चन्द्रशेखर आ. नगर	327.0				
7. भामरा	..				
<b>30. जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.
1. बदनावर	149.7				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	389.0				
3. धार	585.4				
4. कुक्षी	236.0				
5. मनावर	291.0				
6. धरमपुरी	254.0				
7. गंधवानी	248.0				
8. डही	198.0				
9. पीथमपुर	268.0				
<b>31. जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2.	जुताई चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.
1. देपालपुर	181.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. सांवर	143.0				
3. इन्दौर	142.3				
4. गोतमपुरा	187.0				
5. हातोद	..				
6. महू	126.0				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
<b>32. जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) ज्वार, मूँगफली, तुअर कम. मक्का, सोयाबीन, कपास अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.
1. बड़वाह	98.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	207.8				
3. सेंगांव	157.0				
4. खरगौन	124.0				
5. गोगावां	100.0				
6. कसरावद	207.0				
7. भगवानपुरा	214.4				
8. भीकनगाव	206.0				
9. सनावद	84.0				
10.झिरन्या	142.8				
<b>33. जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.
1. बड़वानी	195.5				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	305.0				
3. राजकोट	213.0				
4. सेंधवा	232.6				
5. पानसेमल	291.0				
6. पाटी	197.0				
7. अंजड	..				
8. बरला	261.0				
9. निवाली	309.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>34. जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन कम, धान, कपास, मक्का, मूँगफली, ज्वार, तुअर, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6.(अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) ..	7. .. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	305.0				
2. पुनासा	114.0				
3. खालवा	72.0				
4. पंधाना	163.0				
5. हरसूद	45.0				
<b>35. जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास 5% अधिक, सोयाबीन 10% अधिक, मक्का 10% अधिक, ज्वार 10% अधिक, (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6.(अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	194.6				
2. खकनार	257.0				
3. नेपानगर	243.0				
<b>36. जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6.(अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. राजगढ़	103.5				
2. जीरापुर	84.2				
3. खिलचोपुर	68.9				
4. ब्यावरा	126.6				
5. सारांगपुर	161.0				
6. पचोर	177.3				
7. नरसिंहगढ़	96.0				
<b>37. जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. रोपाई चालू 1. लटेरी	3. .. 4. (1) धान 80% अधिक, सोयाबीन 80% अधिक, ज्वार 50% कम, मक्का 20% कम, उड्ढ. 60% कम मूँग 70% कम, तिल 70% कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6.(अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	136.2	जुताई चालू			
3. कुरवाई	155.0	बोनी चालू			
4. बासोदा	165.3				
5. नटेन	250.9				
6. विदिशा	141.0				
7. गुलाबगंज	177.5				
8. शमसाबाद	284.5				
9. त्योंदा	..				
10. पठारी	..				
11. ग्यारसपुर	157.0				
<b>38. जिला थोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. रोपाई चालू	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मूँग, उड्ढ. सामान्य, ज्वार, मक्का, धान समान. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. अपर्याप्त. 6.(अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	61.51				
2. हुजूर	148.8				
3. बैरागढ़	..				
4. कोलार	136.0				
<b>39. जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. रोपाई चालू	3. .. 4. (1) गन्ना 85% कम सामान्य सोयाबीन 10% कम, मक्का 40% कम, तुअर 10% कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6.(अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	177.6				
2. आष्टा	206.0				
3. इछावर	159.0				
4. नसरुल्लागंज	166.0				
5. रेहटी	77.2				
6. श्यामपुर	109.0				
7. जावर	181.0				
8. बुधनी	64.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>40. जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) धान 10% अधिक, सोयाबीन 5% अधिक, गन्ना 5% अधिक. मक्का 5% अधिक, उड़द, तुअर, मूँगफली, मूँग, ज्वार समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई है.	5. .. 6.(अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. .. 8. . .
1. रायसेन	216.4				
2. गैरतगंज	190.0				
3. बेगमगंज	230.0				
4. गोहरगंज	108.0				
5. बरेली	90.0				
6. सिलवानी	198.2				
7. बाड़ी	106.5				
8. सुल्तानपुर	199.0				
9. उदयपुरा	155.4				
<b>41. जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन 2% कम, धान 2% अधिक, मक्का 2% अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई है. 2%	5. .. 6.(अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैतूल	83.0				
2. भैसदेही	255.0				
3. घोड़ाडोंगरी	59.0				
4. शाहपुर	74.4				
5. चिंचोली	105.2				
6. मुल्ताई	116.8				
7. आठनेर	63.5				
8. आमला	96.0				
9. प्र.पट्टन	83.3				
10. भीमपुर	..				
<b>42. जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, सोयाबीन, मक्का, उड़द, तुअर, गन्ना, तिल, ज्वार, मूँगफली. (2) ..	5. पर्याप्त. 6.(अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	69.6				
2. सिवनी-मालवा	156.0				
3. बावड़ी	128.0				
4. इटारसी	201.6				
5. सोहाहपुर	82.0				
6. पिपरिया	87.4				
7. बनखेड़ी	117.8				
8. डोलरिया	129.2				
9. पचमढ़ी	272.8				
<b>43. जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन उड़द, मूँग कम. मक्का अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6.(अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	161.1				
2. खिड़किया	78.2				
3. सिराली	..				
4. रेहटांगांव	..				
5. हॉडिया	..				
6. टिमरनी	176.2				
<b>44. जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बानी चालू. रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) धान 10% कम, मक्का 5% अधिक, तुअर 60% कम, उड़द 50% कम, मूँग 20% कम. (2) उपरोक्त फसलें धान 2% बिगड़ी, मक्का 5% सुधरी, तुअर 2% सुधरी, उड़द 2% सुधरी, मूँग 5% बिगड़ी हुई.	5. पर्याप्त. 6.(अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जबलपुर	..				
2. कुण्डम	129.7				
3. सीहोरा	102.7				
4. पाटन	205.1				
5. मझौली	22.9				
6. शाहपुरा	100.6				
7. पनागर	154.1				
8. अधारताल	..				
<b>45. जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बानी चालू. रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) धान, तिल, उड़द, मक्का, तुअर. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6.(अ) संतोषजनक, चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	91.0				
2. ढांमरखेड़ी	118.0				
3. रीठी	119.5				
4. बड़वारा	65.0				
5. मुड़वारा (कटनी)	50.8				
6. विजयराघवगढ़	35.5				
7. बरही	68.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>46.जिला नरसिंहपुर :</b> 1. नरसिंहपुर 2. गोटेगांव 3. करेली 4. गाडरवारा 5. तेंदूखेड़ा	मिलीमीटर 227.0 266.0 236.0 129.0 223.0	2. जुताई चालू बोनी चालू रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) गन्ना अधिक. (2) उपरोक्त फसल समान.	5. .. 6.(अ)संतोषजनक चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>47.जिला मण्डला :</b> 1. मण्डला 2. नैनपुर 3. बिछिया 4. निवास 5. नारायणगंज 6. घुघरी	मिलीमीटर 110.2 174.4 103.4 111.0 117.3 117.4	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6.(अ)संतोषजनक चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>48.जिला डिणडोरी :</b> 1. डिणडोरी 2. शाहपुरा 3. बजाग	मिलीमीटर 92.7 80.0 117.6	2. जुताई चालू बोनी चालू रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, उड़द, सोयाबीन, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. .. 8. ..
<b>49. जिला छिन्दवाड़ा :</b> 1. छिन्दवाड़ा 2. तामिया 3. परासिया 4. जुन्नारदेव 5. सांसर 6. बिछुआ 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. उमरेठ 10. मोहखेड 11. हरई 12. चांद 13. पांदुणा	मिलीमीटर 167.0 144.3 191.4 212.8 100.0 117.1 157.0 62.5 179.4 120.4 147.2 99.3 91.0	2. बोनी चालू रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) मक्का 5% अधिक, सोयाबीन समान. धान 20% कम, मूँगफली 10% कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. .. 8. पर्याप्त.
<b>50. जिला सिवनी :</b> 1. सिवनी 2. बरधाट 3. कुरई 4. कवलारी 5. लखनादोन 6. छपारा 7. धनोरा 8. घंसोर	मिलीमीटर .. .. .. .. .. .. .. ..	2. जुताई चालू बोनी चालू रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6.(अ)संतोषजनक चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>51. जिला बालाघाट :</b> 1. बालाघाट 2. लाँजी 3. किरनापुर 4. बैहर 5. वारासिवनी 6. कटंगी 7. लालबर्गा 8. तिरोडी 9. परसवाड़ा 10. बिरसा 11. खेरलाँजी	मिलीमीटर 129.2 192.4 156.6 162.0 150.9 79.0 179.0 62.2 181.1 243.5 69.5	2. जुताई चालू रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक चारा पर्याप्त. (ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

बी. बी. अग्निहोत्री,

उप-आयुक्त,

वास्ते-आयुक्त,

भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.